

राजस्थान सरकार  
राजस्व (ग्रुप-6)विभाग


क्रमांक:- प 9(28)राज-6/2018/22

जयपुर, दिनांक:- 03.04.2018

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 90 की उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा काश्तकारों की खातेदारी एवं गैर खातेदारी की सिंचित कृषि भूमि पर देय लगान (भू-राजस्व) को (खरीफ संवत् 2075) वित्तीय वर्ष 2018-2019 से मुक्त करती है।

राज्यपाल के आदेश से,




(रामनिवास जाट)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सचिव, राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व), वित्त विभाग, जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. निबन्धक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर।
10. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक 03.04.2018 में प्रकाशन हेतु।
11. रा.वि.रा. राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
12. समस्त संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव